न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 105 / 2013
आरसीएमएस नं. 2017 / 00213

सुलतान पुत्र श्योलाल जाति मेघवंशी साकिन सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तह0 नोहर जिला हनुमानगढ
2. जिला वन संरक्षक, हनुमानगढ़।
3. क्षेत्रिय वन अधिकारी वन विभाग नोहर तहसील नोहर, जिला हनुमागनढ।

—— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2017

उपखण्ड अधिकारी, नोहर

प्रकरण संख्या 187 / 2011 अनवान सुलतान बनाम सरकार

उपस्थितिः—

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री राजेश कौशिक अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

श्री कुलदीप सिंह खुड़िया अधिवक्ता रेस्पो सं0 3

निर्णय दिनांक 07.07.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिसमें रोही मौजा सोनड़ी के खसरा नं. 278 की 25 बीघा भूमि वादी के पिता के कब्जा काश्त में होना बताया। तथा कथन किया कि पैमाईश के समय वादी के पिता की उक्त भूमि भू0 प्रबन्ध विभाग ने हाल खसरा नं. 646 की 22.16 बीघा तो सही तोर से दर्ज कर दी मगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रार्थी के पिता के कब्जे काश्त की भूमि खसरा खसरा नं. 648 की 2.04 बीघा भूमि चौब मजकूद दर्ज कर दी जो कतई अनुचित विधि विरूद्ध रूप से दर्ज कर दी व बाद में उक्त भूमि बिना कब्जा के वन विभाग को अंतरित कर दी जबकि भूमि अनधिवासित कब्जा काश्त की भूमि वादी के पिता के खेत 25 बीघा का हिस्सा होना बताया। इससे वादी के अधिकारों का हनन होना बताते हुए हुए प्रतिवादीगण उसे जबर्दस्ती कब्जा प्राप्त करना चाहने के कारण वादी ने प्रतिवादीगण को पाबन्द करने एवं वाद में प्रश्नगत भूमि को खातेदारी भूमि घोषित करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण ने जवाब दिया कि वन विभाग के नाम खसरा नं. 648 का रकबा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई मिसल बन्दोबस्त में 4.04 बीघा भूमि गैर मुमकिन चौब दर्ज है और राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 16 के तहत इस भूमि के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद वादी खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादक संख्या 1 व 2 को सिद्ध करने का भार वादी के जिम्मे था इन विवादक को सिद्ध करने हेतु अपीलाण्ट/वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष नकल जमाबन्दी सं0 2014 से 17 नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल मिसल बन्दोबस्त नकल नक्शा एवं नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069 व नकल खसरा गिरदावरी सं0 2022 से 2025 पेश की थी जिससे यह बखूबी सिद्ध था कि ख. नं 278 मि0 की 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि से ही ख0 नं0 648 की 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि बनी है जो हैक्टेयर में परिवर्तन के उपरान्त 648/2 की 0.809 है0 में परिवर्तित हो गई है। उक्त ख. नं. 648 की 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि गलत रूप से नामान्तरण सं0 1095 से चौदब दर्ज की है जबकि सं0 1095 में उक्त खसरा नम्बर की भूमि दर्ज नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया। विवादक संख्या 4 व 5 प्रश्नगत भूमि हैक्टेयर में परिवर्तित होने से सिद्ध की थी। खसरा मिलान से उक्त भूमि बखूबी सिद्ध था। ख. नं. 278 की अन्य भूमि अपीलाण्ट के नाम खतोदारी दर्ज होनी सही मानी है परन्तु खसरा नं. 648 की भूमि गलत अवधारणा पारित की है। अतः विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

4. रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्तागण ने अपनी बहस में कथन कियाकि रोही मौजा सोनडी के साबिका खसरा नं. 278 की 25 बीघा भूमि संवत 2014 से 17 के अनुसार शौलाल वल्द सगू की खातेदारी दर्ज न होकर कृषक दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुख्ता बन्दोबस्त के दौरान शौलाल वल्द सगू के नाम खसरा नं. 374 की 30.12 बीघा व 649 की 22.16 बीघा का पर्चा लगान जारी किया गया था। खसरा नं. 646 का विवरण दावे में गलत अंकित किया गया है। वनविभाग के नाम खसरा नं. 648 का रकबा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई मिसलबन्दोबस्त में 4.04 बीघा गैर मुमकिन चौब दर्ज है। खसरा नं. 278 का रकबा मिलान क्षेत्रफल के आधार पर है। खसरा नं. 278 पूर्व में आराजीराज था सम्वत 2012 में उक्त खसरा में 10 बीघा ग्वार 15 बीघा बंजड़ दर्ज था इसलिए भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा कब्जे के आधार पर 22.16 बीघा भूमि दर्ज की गई वह सही है। चौब की भूमि को बाद में इन्तकाल सं0 1095/2000 में वनविभाग के नाम दर्ज की गई है। राजस्थान कातश्कारी अधिनिमय की धारा 16 के तहत इसी भूमि के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपि होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

7. अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दी जबकि यह भूमि वादी के पूर्वजों की कब्जा काश्त की भूमि थी जिसे बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट/वादी का वाद खारिज किया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार प्रश्नगत भूमि वन विभाग के नाम से दर्ज है राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमि के खातेदारी अधिकार किसी को नहीं दिये जा सकते हैं। भू प्रबन्ध विभाग के द्वरा साबिका खसरा नम्बर जो हाल खसरा नम्बर में पैमूद कर अपीलाट या अपीलाण्ट के पूर्वजों का जितनी भूमि पर हक हिस्सा था वह वादी के पूर्वजों के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

से सही तौर पर दर्ज कर दी है जो मिलान क्षेत्रफल मिसल बन्दो बन्स्त से साबित है। हाल खसरा नम्बर 648/2 की भूमि में अपीलाण्ट या उसके पूर्वजों का कोई अधिकार साबित नहीं है। प्रश्नगत भूमि केवन विभाग के नाम दर्ज है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमि के खातेदारी अधिकार किसी को नहीं दिये जा सकते हैं। उक्त तथ्यों के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई तथ्य अपीलाण्ट ने प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2017 यथावत रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/7/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डि क्री

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 105 / 2013

आरसीएमएस नं. 2017 / 00213

सुलतान पुत्र श्योलाल जाति मेघवंशी साकिन सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तह0 नोहर जिला हनुमानगढ
2. जिला वन संरक्षक, हनुमानगढ।
3. क्षेत्रिय वन अधिकारी वन विभाग नोहर तहसील नोहर, जिला हनुमागनढ।

–– रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2017

उपखण्ड अधिकारी, नोहर

प्रकरण संख्या 187 / 2011 अनवान सुलतान बनाम सरकार

रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी, श्री राजेश कौशिक अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1, श्री कुलदीप सिंह खुड़िया अधिवक्ता रेस्पो सं0 3 की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2017 यथावत रखे जाते हैं। डिक्री आज दिनांक 7.7.22 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर सुनाई गई।

7/7/22

(करतार सिंह पूनिया आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़